न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 52 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 52

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. पारू पुत्र स्व. पीरा पत्नी श्री चतराराम उम्र 62 वर्ष जाति कलबी निवासी चाटवाडा, तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. चंदणा बेवा स्व. पीराजी 2. मथरा पुत्री स्व. पीराजी दोनो जाति कलवी निवासी चाटवाडा, तहसील रानीवाडा जिला जालोर 3. सरपंच ग्राम पंचायत चाटवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर तहसील बागोडा, जिला जालोर।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा, अपील संख्या 6 / 2020 दिनांक 04.01.2023

उपस्थिति :–
1. श्री लाधूराम पूनिया, श्री राजूराम हरियान, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्तागण, रेस्पोडेण्ट्स।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 24.12.2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ओर से अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 168 को अपास्त कराने हेतु प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 04.01.2023 को पारित किया गया।

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–01–2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि भूमि पुराने ख.न. 38, 409, 514, 652, 579, 739 रकबा क्रमशः 14.19 बीघा, 32.14 बीघा, 17.14 बीघा, 18.05. बीघा, 3.14 बीघा, 53.09 बीघा, 14.19 बीघा पीराजी की खातेदारी की थी, पीराजी का देहांत वर्ष 1971 को हो गया था, पीराजी के देहांत के बाद उपरोक्त भूमि जरिये विरासत के नामांतकरण संख्या 168 दिनांक

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

19.05.1971 के अपीलार्थीनी व प्रत्यर्थी संख्या 2 मथरा मृतक खातेदार पीराजी की पुत्रियो के नाम दर्ज की गयी। उपरोक्त वर्णित नामांतकरण संख्या 168 के पारित होने के 51 वर्ष से अधिक समय बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 चंदणा ने अपील संख्या 6/2020 विद्वान उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की एवं कथन किया कि मृतक खातेदार पीराजी के तीन उतराधिकारी है जिसमे चंदणा मृतक खातेदार की पत्नी व पारू व मथरा दो जायंदा पुत्रिया है। परन्तु पीराजी के विरासत के नामांतकरण में पत्नी चंदणा का नाम दर्ज नही करके अकेले दोनो पुत्रिया पारू व मथरा के नाम दर्ज कर दिया, जो नामांतकरण विधि विरूद्ध है जिसको निरस्त किया जावे तथा पीराजी के सभी उत्तराधिकारियो के नाम नामांतकरण दर्ज किया जावे।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी चंदणा की उपरोक्त वर्णित प्रथम अपील का अपीलार्थी पारू ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि उक्त भूमि का अपीलाधीन नामांतकरण चंदणा द्वारा ही ग्राम पंचायत मे अपनी पुत्रियो पारू व मथरा के नाम दर्ज करवाया [illegible] पुत्रिया उस वक्त नाबालिग थी, अपीलाधीन नामांतकरण मे चंदणा ने अपना नाम दर्ज नही करवाया। इसके बाद गांव चाटवाडा का द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1980–81 में सम्पन्न हुआ जिसमे कब्जे आदि की जांच हुई तथा पूर्ण जांच के बाद विवादित भूमि का पट्टा पारू व मथरा के नाम जारी किया गया। जिसकी भी जानकारी चंदणा को थी फिर भी उसने किसी प्रकार का कोई एतराज सेटलमेन्ट अधिकारियो के समक्ष प्रस्तुत नही किया तथा अपने नाम से पटटा लेने की कोई कार्यवाही नही की। इन परिस्थितियो से स्पष्ट है कि चंदणा ने अपनी पुत्रियों के पक्ष मे अपना हक त्याग कर रखा है तथा वह कोई हक नही लेना चाहती है। इसके बाद उक्त नामांतकरण पारित होने के 50 वर्ष बाद एवं द्वितीय सेटलमेन्ट की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 चंदणा व प्रत्यर्थी संख्या 2 मथरा ने मिलकर पारिवारिक कारणो से अपीलार्थनी के विरूद्ध मथरा ने चंदणा से अपील करवायी तथा अपीलाधीन नामांतकरण का ज्ञान दिनांक 08.09.2020 को होने का झुठा शपथपत्र देकर अपील को म्याद मे सुमार करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त अपील को लम्बे काल के बाद प्रस्तुत होने से खारिज किया जाये।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी अपील मे विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी हक का मांगा है जो नामांतकरण जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में तय नही किया जा सकता है यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 वाद ग्रस्त भूमि मे अपना हक दावे के जरिये तय करवा सकती है। इस कारण उसकी नामांतकरण अपील कानूनी चलने योग्य नही है तथा उस पर पारित आदेश निरस्त किये जाने के योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनाक 04.01.2023 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 की प्रथम अपील संख्या 06/2020 को मय खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमावे तथा नामान्तकरण संख्या 170 ग्राम चाटवाडा को बहाल किये जाने का आदेश फरमावे, अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलाथीर्नी के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि ग्राम पंचायत चाटवाडा द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 168 को स्वीकृत करते वक्त उक्त पीराजी के तमाम वारीसान को सुनवाई का अवसर नही दिय तथा मात्र अपीलाण्ट के नाम उक्त म्युटेशन स्वीकृत किया गया। उक्त म्युटेशन संख्या 168 को स्वीकृत करने की तमाम कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। पीरा वल्द अखाजी कौम कलबी सकिन की फोतेदनी पर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी हिन्दू उत्तराधिकार राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उक्त पीराजी के तमाम वारीशान के नाम दर्ज नहीं की। इसलिये म्युटेशन संख्या 168 की कार्यवाही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से प्रारम्भ में अवैध शुन्य व निष्प्रभावी होने से खारिज किया गया है।

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

रैस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि उक्त आराजी की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में पीरा पुत्र अखा के नाम दर्ज थी तथा द्वितीय सैटलमेंट के दौरान उक्त आराजी पुराने खसरा नबर 38 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 409 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 520 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 652 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 579 रकबा 53 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 739 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा से अलग अलग नवीन खसरा नंबर सृजित किये गये। रैस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के पति व अपीलाण्ट के पिता पीरा वल्द अखा कौम कलबी के फौत होने पर म्युटेशन संख्या 168 की कार्यवाही अपीलान्ट के पीठ पिछे की गई तथा उक्त म्युटेशन संख्या 168 के जरिये उक्त पीरा के तमाम वारीसान के नाम खातेदारी दर्ज नहीं कर मात्र अपीलाण्ट के नाम पीरा की बजाय खातेदारी दर्ज कर दी। उक्त म्युटेशन संख्या 168 की कार्यवाही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य व निष्प्रभावी है।

रैस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को अर्द्ध में जरिये म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जा चुका है। जिसकी अपील पारू पुत्री पीराजी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश कि गई थी जो दिनांक 18.10.2022 को खारिज की गई है। पीरा पुत्र अखा कौम कलबी फौत होने पर पीरा पुत्र अखा के स्थान पर पारू, मथरा पि. पीरा सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। उक्त म्यूटेशन संख्या 168 में राजस्व अधिकारीयों द्वारा उक्त पुश्तैनी भूमि में लडकियों का नाम दर्ज किया है। उक्त पूश्तैनी आराजी की वर्तमान जमाबंदी में नाबालिग पारू व मथरा पुत्री पीरा सरंक्षक माता चन्दणों दर्ज है। चंदणा अपीलाट की माता है। पूश्तैनी भूमि में पति के मृत्यू होने पर उनकी पत्नि का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी मानी गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 विधि के अनुसार होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तायों की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि

I. ग्राम पंचायत चाटवाडा द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 168 दिनांक 19.05.1971 में पीरा पुत्र अखा कौम कलबी फौत होने पर पीरा पुत्र अखा के स्थान पर पारू, मथरा, पि. पीरा सा.देह खातेदार दर्ज किया गया। उक्त म्यूटेशन संख्या 168 में पीरा पुत्र अखा के पुत्रिया के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया जबकी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के वर्ग प्रथम में पुत्र, पुत्री, विधवा सम्मिलित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चाटवाडा द्वारा नामांतरकरण संख्या 168 दिनांक 19.05.1971 में पीरा पुत्र अखा में विधवा पत्नी के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में यह स्वीकृत तथ्य है कि चन्दणा, पारू व मथरा की माता है।

II. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई अपील को अन्दर म्याद शुमार किया गया है। जिसकी अपील पारू पुत्री पीराजी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश कि गई थी। उक्त निगरानी दिनांक 18.10.2022 को खारिज की गई है। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मयाद को स्वीकार किया गया है जिस पर इस न्यायालय द्वारा मयाद के संबंध में कोई विवेचन नही किया जाना है।

5.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय अति. ... पाली (राज.)

III.इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा के निर्णय दिनांक 04.01.2023 में मौजा चाटवाडा के पूराने खसरा नंबर 38, 409, 514, 526, 652, 579, 739 की आराजी में पीरा वल्द अखा कौम कलबी सा. देह खातेदार की फौतेदगी पर ग्राम पंचायत चाटवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 168 को निरस्त किया गया है, वो विधि के प्रावधानो के अनुसार सही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 में हम कोई त्रुटि नही होना पाते है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा के निर्णय दिनांक 04.01.2023 को यथावत रखा जाता है।

IV.इस न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत चाटवाडा से नामांतरकरण संख्या 168 के संबंध में प्रस्ताव रजिस्टर तलब किया गया था लेकिन विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स द्वारा इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड उक्त पत्रावली के निर्णिय करने हेतु कतई आवश्यकता नही है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन द्वारा दो पुत्रिया का ही नाम दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रानीवाडा के निर्णय दिनांक 04.01.2023 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को पीरा वल्द अखा के तमाम वारीसान की जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में वारीसान की जांच तहसीलदार रानीवाडा की जानी है।

इस क्रम में तहसीलदार रानीवाडा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन प्रकरण में मृतक पीरा वल्द अखा के विरासत नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 19.05.1971 के क्रम में ग्राम पंचायत चाटवाडा द्वारा पारित प्रस्ताव यदि कोई हो अथवा नामान्तरकरण की दोनो परतो की भी भलीभांती जांच की जावे कि उनकी पृष्ठ भाग अथवा पुश्त पर यदि विरासत के बाबत कोई टिप्पणी/प्रष्टांकन अथवा सहमती इत्यादि हो तो उसको विधि की दृष्टी से परीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करे।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा के प्रकरण संख्या 6/2020 उनवान चंदणा बनाम पारू पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, रानीवाडा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक ....24.12.. 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)